प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 02.07.2026**

थाना रमाला पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से षड्यंत्र में प्रयुक्त 02 स्विफ्ट डिजायर कार, कूटचरित नंबर प्लेट व मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 01.07.2026 को समय करीब 01:30 बजे रात्रि में सूचनाकर्ता इमरान पुत्र बाबर अली निवासी ग्राम अशरफाबाद थल, थाना रमाला, जनपद बागपत (हाल निवासी पसौंडा, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद) द्वारा सूचना दी गई कि तीन अज्ञात पल्सर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर उसकी स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP-14FT-7844 को नहर पटरी मार्ग पर बीच सड़क से लूट लिया है।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना रमाला पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण एवं सर्विलांस के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सूचनाकर्ता इमरान का मोबाइल फोन घटना के समय चालू अवस्था में था तथा उसकी लोकेशन घटनास्थल के समीप एक खेत में प्राप्त हो रही थी। लूट की घटना के उपरांत मोबाइल फोन का

खेत में छिपा होना संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान इमरान ने स्वीकार किया कि वह भारी आर्थिक कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज से बचने तथा बीमा क्लेम आदि के माध्यम से अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने अपने साथी कुर्बान पुत्र जाहुर हसन के साथ मिलकर पुलिस को गुमराह करने हेतु फर्जी लूट की कहानी रची थी।

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 140/2026 धारा 336(3)/340(2)/217/238/318(4)/61(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा प्रकरण का सफल अनावरण करते हुए संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जिनके कब्जे से षड्यंत्र में प्रयुक्त 02 स्विफ्ट डिजायर कार, कूटचरित नंबर प्लेट व मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

बरामदगी का विवरण-

- एक स्विफ्ट डिजायर कार नं0 UP-14FT-7844 (इमरान की मूल कार - जंगल से बरामद)
- एक स्विफ्ट डिजायर कार नं0 HR-38AD-9352 (षड्यंत्र में प्रयुक्त कुर्बान की कार)
- घटना में प्रयुक्त और कूटचरित (फर्जी) नंबर प्लेट (कुर्बान की गाड़ी पर धोखाधड़ी के लिए लगाई गई इमरान के नंबर की प्लेट - कुर्बान के कब्जे से बरामद)
- एक मोबाइल फोन (इमरान का खेत से बरामद)।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1-इमरान पुत्र बाबर अली निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत हाल निवासी पसौंडा थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2-कुर्बान पुत्र जाहुर हसन ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत हाल निवासी गुर्जर अली चौकी राशीद अली गेट थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत।
5-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
6-है0का0 134 विकास थाना रमाला जनपद बागपत।
7-है0का0 681 दीपक बरार थाना रमाला जनपद बागपत।
8-है0का0 469 नरेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।
9-है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
10-है0का0 781 नीरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
11-का0 478 अजीत कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
12-रि0का0 493 धीरेन्द्र इन्दौलिया थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनांक 02.07.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 62/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 79/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 80/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त थाना टीपीनगर जनपद मेरठ चोरी की गयी मोटर साईकिल नं0 UP-15EK-8670 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1- दिनांक 27-05-2026 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री विनीत कुमार (प्रधानाचार्य) श्री श्याम हरिशचन्द्र हायर सेकेन्ड्री स्कूल चमरावल बागपत थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 26/27 मई 2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल परिसर के तीन कमरों के ताले तोड़कर कीमती एवं आधिकारिक सामान चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थाना पत्र के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 62/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2- दिनांक 27.06.2026 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री ईश्वर दयाल पुत्र वेदीराम निवासी ग्राम चमरावल थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी व उसके गाँव के यशपाल पुत्र रामसिंह, खुरसैद पुत्र इमामूदीन की ट्युवबैलों से कैबल, स्टार्टर व 02 खाट चोरी कर ली गयी है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 79/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

3- दिनांक 27.06.2026 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री सतीश त्यागी पुत्र श्री गंगाचरण निवासी ग्राम सिगौली तगा थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी व गाँव के विरेन्द्र पुत्र स्व0 जगदीश के ट्युवबैलों से केबल काट कर चोरी कर ली गई है। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 80/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाना चांदीनगर के *मु0अ0सं0 62/2026, 79/2026* एवं *80/2026* धारा *305(ए)/331(4)* बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुहैल उर्फ काला पुत्र यामीन उर्फ पप्पल निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त मोटरसाइकिल से भागने लगा, जिसका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। रटौल-सिंघौली तगा मार्ग पर ग्राम भैंडापुर स्थित ट्यूबवेल के पास अभियुक्त की मोटरसाइकिल फिसल गई। स्वयं को घिरता देख अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर उपचार हेतु सीएचसी पिलाना में भर्ती कराया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा *.315* बोर मय 02 जिन्दा कारतूस *.315* बोर व एक खोखा कारतूस *.315* बोर तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल संख्या *UP-15EK-8670* बरामद हुई है, जो कि थाना टीपी नगर, जनपद मेरठ के *मु0अ0सं0 118/2025* धारा *303(2)* बीएनएस से संबंधित पाई गई।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना चांदीनगर पर *मु0अ0सं0 81/2026* धारा *109(1)/317(5)* बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) तथा धारा *3/25/27* आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

सुहैल उर्फ काला पुत्र यामीन उर्फ पप्पल निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

घटना स्थल/गिरफ्तारी स्थान- रटौल सिंगौली तगा मार्ग पर ट्युबैल के पास जंगल ग्राम भैंडापुर थाना चांदीनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 62/26 धारा305(ए)/331(4) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2- मु0अ0सं0 79/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3- मु0अ0सं0 80/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

4- मु0अ0सं0 81/2026 धारा 109(1)/317(5) BNS (पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

5- मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) 317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

6- मु0अ0सं0 393/25 धारा 303(2) 317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

7- मु0अ0सं0 01/26 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।

8- मु0अ0सं0 218/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

9- मु0अ0सं0 118/25 धारा 303(2)बीएनएस थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल नं0 UP-15EK-8670 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 118/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना टीपीनगर जनपद मेरठ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री अतर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

1-निरीक्षक श्री रामचन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री राहत जान थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

4- का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

5- का0 911 श्यामवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

6- का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

7- का0 209 मनीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

8- का0 427 अरूण भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

9- है0का0 490 आशीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

10- का0 60 रवि कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 02.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 महिला मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से अवैध 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 425/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

02 महिला ।

बरामदगी का विवरण –

- 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 902 कैलाश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-रि0का0 481 सुशांत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5-म0का0 77 स्वेता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
6-रि0म0का0 607 मेघा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनाँक 02.07.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये । यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू उर्फ नीनी पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली ।

2-है0का0 383 सुरेश कुमार थाना छपरौली ।

3-है0का0 110 सुबोध कुमार थाना छपरौली ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक- 02.07.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 221/26 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस से सम्बन्धित 02 बाल अपचारियों के विरूद्ध की कार्यवाही, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 13 सिगरेट के बंडल, 1283 रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त एक पेंचकश व 01 टीवीएस मो0सा0 नं0 UP-15EZ-0873 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.07.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी ओमपाल पुत्र खेमचन्द निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 02 बाल अपचारी एवं सुहान पुत्र बाबू व अरमान पुत्र फिरोज उर्फ फौजी निवासीगण फरुखनगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उसकी परचून की दुकान की छत उखाड़कर 25000/- रूपये कैश व कुछ सामान चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 221/26 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 221/26 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस से सम्बन्धित 02 बाल अपचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 13 सिगरेट के बंडल, 1283 रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त एक पेंचकश व 01 टीवीएस मो0सा0 नं0 UP-15EZ-0873 बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बाल अपचारी के नाम का नाम व पता-

02 बाल अपचारी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2-है0का0 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-रि0का0 494 पुनीत यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा   दिनाँक- 02.07.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 222/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17L-7996 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.07.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी प्रेम पुत्र रामकिशन निवासी पाठशाला रोड कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटरसाईकिल नं0 UP-17L-7996 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 222/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 222/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17L-7996 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम का नाम व पता-

देवराज पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 03/26 धारा 317(5)/345(3) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-रि0का0 244 भूपेन्द्र थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

साइबर क्राइम सेल, जनपद बागपत

साइबर क्राइम सेल, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी के 40,216/- रूपये वापस कराये गये–

पीड़ित राजदेव सिंह पुत्र स्व0 टीकाराम निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 33103260064536 पर 86,246 रुपये खाता से कटने की शिकायत की गयी, जिसके फलस्वरुप साइबर क्राइम सेल, जनपद बागपत द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी तथा पीडित के 40,216 रुपये वापस कराये गये।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	साइबर क्राइम सेल	33103260064536	40,216/-